(1)

निजी ध्यानार्थ

संख्याः— शिक्षा—उच्चतर(21)बी0(15)15 / 2020—वी
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला—1
Tel:0177&2653120, Extn-234, Fax:2812882, E-mail:dhe-sml-hp@gov.in
दिनांक शिमला—1 मई,2020

सेवा में

1. उप—शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा / निरीक्षण संवर्ग, समस्त जिला, हिमाचल प्रदेश
2. प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक, समस्त राजकीय / निजी वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशाला, हिमाचल प्रदेश

विषयः— **सरकारी समारोह में उपहार स्वरूप फूल—गुलदस्ता, शॉल व टोपी भेंट किए जाने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र संख्याः—जी0ए0डी0—ए0(ए0)9—2 / 2008—लूज दिनांक 27 मई 2020, जिसके अन्तार्गत सूचित किया गया है कि कोरोना महामारी (कोविड—19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए वांछित सामाजिक दूरी (Social Distancing) के सुझाव को अम्ल में लाए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकारी समारोहों में उपहार स्वरूप भेंट किए जाने वाले फूल—गुलदस्ता, शॉल / दुशाला व टोपी आदि के चलन पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए।

इस सन्दर्भ में, आपको निर्देश दिए जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अक्षरशः अनुपालना की जाए।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि0प्र0

03 JUN 2020

हस्ता0—

(डा0 प्रमोद चौहान),
संयुक्त शिक्षा निदेशक,उच्चतर शिक्षा(महा0),
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या समान दिनांक शिमला—1 मई,2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2.
2. सचिव(सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2, को उनके कार्यालय पत्र संख्याः—जी0ए0डी0—ए0(ए0)9—2 / 2008—लूज दिनांक 27 मई 2020 के सन्दर्भ में।
3. समस्त शाखा अधिकारी, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तकनीकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को पत्र को विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
5. रक्षक नस्ति।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,उच्चतर शिक्षा(महा0),
हिमाचल प्रदेश